20064101 3
27/6

By Speed Post

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/ LID -10569/713 **Dated: 26/06/2018**

TR 197 / 2.11.18

To,

Accountant General (A&E),

Andhra Pradesh, Saifabad,

Hyderabad - 500004

PM-I

Subject:- Revision of pension of civil pensioners/family pensioners of state govt. payment of arrear of Pay and DR from 01/01/2016 to 31/12/2016 regarding .

I am forwarding herewith copy of office memo. No. 5/2018/Fin.Com.-2-330/Das-2018-04(M)/2016. dt. 18.05.2018 of U.P. govt. Lucknow on the subject cited above for necessary action please.

Encl:- As stated above

548176
5/7/18

2/11/18

03 JUL 2018
Andhra Pradesh & Telangana

Yours Faithfully,

Accounts Officer

Transferred to PM-OG-TS for n.a.
2/11/18
AAO / PM-AP

R 46773
23/5/2018

संख्या-5/2018/वे0आ0-2-330/दस-2018-04(एम)/2016

प्रेषक

अलकनंदा दयाल,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 18 मई, 2018

विषय- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मंहगाई भत्ता के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक निर्गत संकल्प दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के उप प्रस्तर-17(i) एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10(i) में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मंहगाई भत्ता के अवशेष का भुगतान किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसे शासनादेश संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा परिवर्तित करते हुए यह व्यवस्था की गयी थी कि अवशेष के 50 प्रतिशत अंश, जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह अक्टूबर में किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, का भुगतान माह दिसम्बर, 2017 के उपरान्त किया जायेगा।

2- इसके पश्चात शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि अवशेष के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में तथा 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जायेगा।

3- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों, राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मंहगाई भत्ता के अवशेष के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में

SSADR
Suresh
7.6.18

10569

SSADR-347

यथासम्भव दिनांक 30 जून, 2018 तक किया जायेगा। अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार यथावत रहेगी।

4- उपर्युक्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 तथा शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 से सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

अलकनंदा दयाल
सचिव।

संख्या-5/2018/वे0आ0-2-330(1)/दस-04(एम)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-। एवं ।। तथा (आडिट)-। एवं ।। उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत कराने का कष्ट करें।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
उप सचिव।